न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./67/2023/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. हरीसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह 2. पूरोंदेवी बेवा विरधसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोरना तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1. नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह 2. भूरसिंह पुत्र हेमसिंह 3. मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह 4. भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह 5. मांगी देवी बेवा शंकरसिंह 6. अणसी कंवर पत्नी मांगुसिंह 7. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 8. तुलसीदेवी बेवा इन्द्रसिंह 9. रूपसिंह पुत्र भीमसिंह 10. शिवसिंह पुत्र भीमसिंह 11. अर्जुनसिंह पुत्र भीमसिंह 12. हीरो कंवर बेवा भीमसिंह 13. जवाहरसिंह पुत्र देवीसिंह 14. तगसिंह पुत्र देवीसिंह जातियान राजपुरोहित निवासी कोरना तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 120/2016 बअनवान हरीसिंह वगै. बनाम नाथूसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री उम्मेदसिंह अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—25.10.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा कोरणा में खसरा संख्या 99 रकबा 02.01 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 04.02 बीघा, खसरा संख्या 106 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 110 रकबा 01.17 बीघा, खसरा संख्या 114 रकबा 02.16 बीघा, खसरा संख्या 117 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 118 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 182 रकबा 01.18 बीघा कुल रकबा 16.06 बीघा एवं खसरा संख्या 105 रकबा 16.11 बीघा, खसरा संख्या 112 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 20.05 बीघा, खसरा संख्या 116 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या

25.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

195 रकबा 203 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 247.17 बीघा अवस्थित है। नाथूसिंह खीवसिंह का लड़का नहीं है। नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मथुरादेवी का स्वर्गवास ला औलाद होने से अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 से 05 का नाम संयुक्त रूप से मथुरादेवी के फौतगी म्यूटेशन संख्या 758 और 759 में दर्ज होना चाहिए था परन्तु उतरदाता नाथूसिंह ने व उसके पिता ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर मथुरादेवी का वैध पुत्र नाथूसिंह को वताते हुए उपरोक्त फौतेदगी का म्यूटेशन स्वीकृत करवा लिया। इससे पिड़ित होकर हस्तगत वाद अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को अपना वाद साबित करने हेतु दिनांक 06.02.2023 को गवाह एवं सूबत पेश करने हेतु अंतिम अवसर देकर पेशी तारीख 16.06.2023 को रखी गई थी परन्तु दिनांक 16.6.2023 को अधिवक्ता संघ बालोतरा द्वारा अदालत के न्यायिक कार्यो का बहिष्कार करते हुए हड़ताल रखी गई थी तब अपीलांट अपने गवाहन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उक्त तारीख पेशी के पश्चात दिनांक 18.04.2023 को और दिनांक 28.04.2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से उन्होंने कोर्ट के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की जिस वजह से उपरोक्त पेशी तारीख पर अपीलांटगण अपने गवाहान व साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर सके। अपीलांटस की तरफ से साक्ष्य व सबूत पेश करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस का वाद तकनीकी आधार पर खारिज किया गया जिससे अपीलांटस के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस को एक अवसर कॉस्ट पर उपलब्ध करवाया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

25.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मथूरा के जाईन्दा वारिस होने के कारण प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस संख्या 01 को गोदपुत्र लिया था और गोदपुत्र के आधार पर ही मथूरा के वारिस के नाम से नामान्तकरण भरा गया था। वादी/अपीलांटस पक्ष द्वारा अपने वाद को साबित करवाने के लिए कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील पेश कर दिनांक 07.07.2023 को एकतरफा स्थगन अपने पक्ष में प्राप्त कर लिया उसके बावजूद भी रेस्पोडेंटस के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन आदेश के मुताबिक तीन दिवस में पेश नहीं किये गये जो पैरवी में उदासीनता को इंगित करते है। माननीय आदेश की पालना नहीं करने के कारण स्थगन मय अपील को अदम पालना में खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे। उसके उपरांत भी अपीलांटस की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को 50000 की कॉस्ट दिलवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है उसके बावजूद भी वादी/अपीलांटस द्वारा साक्ष्य गवाहन पेश नहीं किये गये इसका मतलब यह नहीं है कि वादी/अपीलांटस अपने वाद में पैरवी नहीं कर रहा है। हस्तगत वाद जिस हेतुक को लेकर पेश किया गया उसके निस्तारण की मंशा को अवरूद्ध करते हुए प्रकरण को तकनीकि आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटस/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय तकनीकि आधार पर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांटस को 2500 रू की कॉस्ट पर दो माह का अवसर साक्ष्य गवाहन करने हेतु दिया जाता है। उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कि॰
25.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 120/2016 बउनवान हरीसिंह वगै. बनाम नाथूसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस/वादी द्वारा राज्य सरकार की अन्य प्राप्तियों की मद में कॉस्ट स्वरूप राशि 2500 रूपये का चालान जमा करवाने के पश्चात चालान की प्रति पेश करने के उपरांत मूल वाद को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट/वादी को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर वाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। हस्तगत प्रकरण वर्ष 2016 से लम्बित है जो काफी पुराना हो गया है इसलिए विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करने का प्रयास करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

25.X.23

(मंगलाराम पुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर